राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र लापोद
पीठासीन अधिकारी– महीपाल भारद्वाज, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 68/2014
दायरा तिथि 08.08.2014
निर्णय तिथि 28.05.2016

वादीः– **बनामः** **प्रतिवादीगणः–**

तगाराम पुत्र घीसाराम, जाति सिरवी
निवासी पिचावा तहसील सुमेरपुर

1–चेलाराम पुत्र अनाजी
2–लछाराम पुत्र अनाजी
3–धनाराम पुत्र अनाजी
4–फूलाराम पुत्र अनाजी
5–सुमटी पत्नी अनाजी
तमाम जातिगण सिरवी
निवासीगण पिचावा तह.सुमेरपुर
6–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी
तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट, 1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय दिनांक 28.05.2016

उपरोक्त अनबान प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र लापोद में बरोज आज पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता व प्रतिवादी सं.06 तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से वादी मय अधिवक्ता की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा पिचावा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 93 रकबा 1.70 हेक्टर में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी द्वारा एवं 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं.01 चेलाराम द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 07.07.1984 के जरिए खरीद किए जाने व मौके पर कब्जा काश्त होने से उक्त हिस्सा मुजब वादी एवं प्रतिवादी सं.01 चेलाराम को बतौर खातेदार घोषित करते हुए वादी व प्रतिवादी सं.01 चेलाराम के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने एवं वादी के बंट व हिस्से की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु डिक्री का आदेश प्रदान करावे। वादी ने वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 07.07.1984 की छाया प्रति व जमाबंदी संवत् 2066–69 की सत्यापित प्रतिया पेश की है।

(2) कि प्रश्नगत् मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादी सं.01 लगाय 05 बावजूद सम्मन तामील व सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रश्नगत् मामले में पटवारी लापोद व भू–अभिलेख निरीक्षक ढोला ने वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावजों व कथित जांच रिपोर्ट पर मनन व विचारण करने के पश्चात् वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों व अभिव्यक्त कथनों की बखुबी पुष्टि होती है और इस आधारित हमारी विधिक राय है कि इस आयोजित राजस्व लोक अदालत की मंशा के अनुरूप वादी का कथित वादपत्र स्वीकार व डिक्री करते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं.02 लगाय 05 के नाम बतौर खातेदार दर्ज है, को विलोपित करते हुए उक्त

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

 राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी को 1/3 हिस्से का वं प्रतिवादी सं.01 को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इनके मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने हेतु तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी लापोद को आदेशित किया जाना एवं वादी के हक–हिस्से की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा पिचावा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 93 रकबा 1.70 हेक्टर में से दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं.02 लगाय 05 का नाम बतौर खातेदारी से विलोपित करते हुए वादी–तगाराम पुत्र घीसाराम को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं.01–चेलाराम पुत्र अनाजी को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, साथ ही तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का लापोद को आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर उक्त घोषित सुदा खातेदार वादी–तगाराम व प्रतिवादी सं.01–चेलाराम की मौजूदगी में उनके मध्य माफिक हिस्सा मुजब प्रश्नगत् कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करके अलग–2 खातों का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर पालना सुनिश्चित करे। इसके अलावा वादी के बंट व हिस्से की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी की जाती है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे। उपरोक्त निर्णय/डिक्री अनुसार डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 28.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र लापोद में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान))